

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 69/2024 बउनवानी वी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर स0मा0(प्र.अ.चुनाव) निवासी 32ए, राजमिहार कॉलोनी राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/162

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 14.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर (प्र.अ.चुनाव अनुभाग) को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " <u>पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2010 एवं 2015 के दौरान ग्राम पंचायत मैनपुरा पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में निर्वाचित सरपंच के परिणाम पत्र (प्रपत्र-7) की सूचना</u> " अति0 जिला कलेक्टर (उपजिला निर्वाचन अधिकारी) सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर (उपजिला निर्वाचन अधिकारी) सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर (उपजिला निर्वाचन अधिकारी) सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.80(निर्वाचन/परास/सूकाअ/2024/8016 दिनांक 27.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्त के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2024 में चाही गयी सूचना वर्ष, 2010 की प्रपत्र "ग" में एवं वर्ष 2015 की प्रपत्र-7 में अति0 जिला कलेक्टर (उपजिला निर्वाचन अधिकारी) सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को भिजवायी करवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है।</p> <p>अपीलान्त द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन है कि अपीलान्त द्वारा चाही गयी सूचना अभी तक अपीलान्त को दिनांक 23.12.2024 तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 14.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर (उपजिला निर्वाचन अधिकारी) सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.80(निर्वाचन/परास/सूकाअ/2024/8016 दिनांक 27.12.2024 से अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;"> (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p> 